



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
कार्यकारी कुलसचिव
Prof. Krishna Kumar Singh
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2003/का.आ./02-62/2019
दिनांक : 11.09.2019

कार्यालयादेश

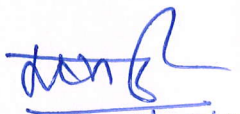
कार्यालय आदेश क्रमांक 006/Estt/3054/2014/MGAHV, दिनांक 28.05.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए शैक्षणिक कर्मियों के अवकाश के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है :

सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर का आकस्मिक अवकाश/कर्तव्यावकाश/विशेष कर्तव्यावकाश का आवेदन अधिष्ठाता द्वारा स्वीकृत किया जायेगा और उसका रिकार्ड अधिष्ठाता कार्यालय में ही रखा जायेगा। सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर का अर्जित अवकाश/चिकित्सा अवकाश/छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) हेतु आवेदन तथा कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट कुलसचिव कार्यालय में प्रेषित किया जायेगा।

प्रोफेसरों के सभी अवकाश आवेदन/छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) आवेदन तथा अवकाश उपरांत कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट कुलसचिव कार्यालय में प्रेषित किये जायेंगे।

अर्जित अवकाश/चिकित्सा अवकाश/छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) हेतु कम से कम 10 दिन पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा। कार्यालयादेश क्रमांक 006/Estt/3054/2014/MGAHV, दिनांक 28.05.2014 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

यह कार्यालयादेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है।


(कुलसचिव) 11/09/19

प्रति : समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/क्षेत्रीय केंद्र प्रभारी (ईमेल द्वारा)
(इस अनुरोध के साथ कि विद्यापीठ/विभाग के सभी शैक्षणिक कर्मियों को अवगत कराएँ)

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय
2. वित्त विभाग
3. सहायक कुलसचिव, स्थापना
4. सहायक कुलसचिव, प्रशासन
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित पत्रावली